आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्यूक्ति
28-02-20	आज दिनांक–28.02.2020 को द्वितीय पक्ष श्री मनोज कुमार, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय उपस्थित हुए। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम के बन्दगाँव एवं नोवामुंडी प्रखण्ड के कुल क्रमशः 4982 गर्भवती महिलाएँ, 6789 धात्री माताएँ एवं 36,278 छः माह से तीन वर्ष के बच्चों को पोषाहार नहीं मिलने के कारण, इन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 की धारा – 8 के अन्तर्गत 4.37 करोड़ रू0 की राशि के खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करने सम्बन्धी निदेश आयोग द्वारा दिनांक – 24.02.2020 को दिया गया। इसकी प्रति पूर्व में भी निदेशक के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया गया है। आज दिनांक–25.02.2020 को उन्हें इसकी प्रति दी गई। खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान की कोई व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जबकि इसके लिए आयोग के पत्र सं0–471 दिनांक–20.11.2019 एवं पत्रांक–127 दिनांक–18.02.2020 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। उन पत्रों के आधार पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। निर्णय लिया गया कि इस मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–33 के अन्तर्गत निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध कार्रवाई की जाय, कि क्यों नहीं अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में 5,000/– (पाँच हजार) का जुर्माना किया जाय ! इसी क्रम में आज दिनांक–28.02.2020 को मामले की सुनवाई की गई, जिसमें निदेशक ने बताया कि वर्तमान में इस राशि (4.37 करोड़ रू0) के भुगतान की कार्रवाई दिनांक–31.03.2020 के पूर्व करने की कार्रवाई की जाएगी। निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को बताया गया कि राँची शहरी क्षेत्र में भी इसी प्रकार दिनांक–18.02.2020 को 93.00 लाख रू0 खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान हेतु आयोग द्वारा आदेश दिया गया है। इसके भुगतान की कार्रवाई भी दिनांक –31.03.2020 के पूर्व किया जाय। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–07.04.2020 को निर्धारित की गई। 28-2-20 **(उपेन्द्र नारायण उरांव)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(सुधीर प्रसाद)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

न्यायादेश

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उरांव एवं श्री हलधर महतो द्वारा दिनांक–11.10.2018 एवं 12.10.2018 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगाँव एवं नोवामुण्डी प्रखण्ड के भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र, कोनसेया एवं लपुंगडीह के संचालन में अनियमितता पाई गई थी। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बंदगाँव के पत्रांक–19 दिनांक–07.02.2019 द्वारा सूचना दी गई कि–

"आंगनबाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली पूरक पोषाहार सेवाएँ जुलाई, 2018 से ही बाधित थी, क्योंकि राज्य द्वारा R.T.E फूड की आपूर्ति नहीं की जा रही थी। जनवरी, 2019 से सारी सेवाएँ सुचारू रूप से संचालित है।"

मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए वाद सं0–13/2019 प्रारंभ कर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक–1044 दिनांक–07.09.2019 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बंदगाँव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जुलाई, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक गर्भवती महिलाएँ, धात्री माताएँ तथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लाभुकों की संख्या निम्न प्रकार प्रतिवेदित हैं :–

क्रमांक	माह का नाम	गर्भवती महिलाएँ	धात्री माता	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे
1	जुलाई, 2018 से दिसम्बर, 2018	4982	6789	36278
कुल योग		***4982***	***6789***	***36278***

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–8 में यह प्रावधान है कि **"हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होंगे जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और रीति से संदाय किया जायेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।"**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–20.02.2017 के भाग–3 कण्डिका–8 (1) के अनुसार "In case of non-supply of meal to the beneficiaries in Anganwadi Centre on any day to non-availability of food grains or any other reason, the State Governments or Union territory Administrations shall pay

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

food security allowance as defined in clause (d) of rule 2 to every beneficiary referred to in rule 3 as per rates specified in rule 11''

विषयांकित मामले में निःसन्देह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–4 (क) तथा धारा–5 की उपधारा–1 (क) का उल्लंघन हुआ है एवं मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–8 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–20.02.2017 के भाग–3 कण्डिका–8 (1) का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर उपरांकित लाभुकों के संख्या के आलोक में खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान हेतु निम्न प्रकार राशि की गणना निर्धारित दर के आधार पर की गई है:–

1. गर्भवती महिलाओं की खाद्य सुरक्षा भत्ता

   = कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या X दिनों की संख्या X दर

   = 4982 X 150 X 9.50 पैसा प्रति लाभुक = 70,993.50

2. धात्री माताओं की खाद्य सुरक्षा भत्ता =

   = कुल धात्री माताओं की संख्या X दिनों की संख्या X दर

   = 6789 X 150 X 9.50 पैसा प्रति लाभुक = 96,743.25

3. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की खाद्य सुरक्षा भत्ता =

   = कुल बच्चों की संख्या X दिनों की संख्या X दर

   = 36278 X 150 X 8.00 रू0 प्रति लाभुक = 4,35,33,600.00

इस प्रकार क्रमांक 1+2+3 अर्थात् 70,993.50 + 96,743.25 + 4,35,33,600.00 **= 4,37,01,336.75 (चार करोड़ सैंतीस लाख एक हजार तीन सौ छत्तीस एवं पचहत्तर पैसा)** मात्र।

उक्त तथ्यों के आधार पर आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी लाभुकों को उपरांकित खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान, आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाय और अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराई जाय।

आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित को अनुपालनार्थ भेजें।

24.2.2020

(उपेन्द्र नारायण उरांव)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

24-02-2020

(हलधर महतो)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261